तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट मुकदमा संख्याः 13/2025
07–4–2026	पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल प्रकाश कुमार पुत्र जैसाजी, जाति– हिरागर, निवासी– डबानी, पुलिस थाना, अनादरा, हाल– मानपुर, पुलिस थाना आबूरोड़ शहर, जिला– सिरोही उपस्थित। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश माली ने वकालतनामा पेश किया। गैरसायल ने जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर सहायक अभियोजन अधिकारी व गैरसायल को सुना गया। सहायक अभियोजन अधिकारी ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए गैरसालय को सिरोही जिले से छः माह की अवधि के लिये निष्कासित करने का अनुरोध किया। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि गैरसायल के विरुद्ध विगत छः माह की अवधि में कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है। गैरसायल ने कभी शांति भंग नही की है। गैरसायल मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है व जुआं संबंधी अपराधों में अब लिप्त नही है, इसलिये प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल प्रकाश कुमार पुत्र जैसाजी, जाति– हीरागर, निवासी– डबानी, पुलिस थाना अनादरा, हाल– मानपुर, पुलिस थाना आबूरोड़ शहर, जिला– सिरोही के विरुद्ध पुलिस थाना आबूरोड़ शहर में धारा 13 राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश के तहत अपराध संख्या 210 दिनांक 16–9–2022, 213 दिनांक 17–9–2022, 01 दिनांक 02–01–2024 व 102 दिनांक 07–4–2025 को दर्ज हुये। जिनमें गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये एवं संबंधित न्यायालय द्वारा उक्त सभी मुकदमों में गैरसायल को दोषसिद्ध ठहराते हुए जुर्माने से दण्डित किया है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त अपराध संख्या 01 दिनांक 02–01–2024 व 102 दिनांक 07–4–2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट व इनमें प्रस्तुत आरोप पत्र की प्रमाणित प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त अपराध संख्या 01 दिनांक 02–1–2024 व अपराध संख्या 102 दिनांक 07–4–2025 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 24–01–2024 व 22–4–2025 के अनुसार संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोषसिद्ध ठहराते हुए जुर्माने से दण्डित किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि कि राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(V) में वर्णित अपराध करने का गैरसायल आदि है व गुण्ड़ा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार यह भी स्पष्ट है कि गैरसायल जुआं संबंधी अपराधों में लिप्त रहा है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुऐ गैरसायल प्रकाश कुमार पुत्र जैसाजी, जाति– हिरागर, निवासी– डबानी, पुलिस थाना, अनादरा, हाल– मानपुर, पुलिस थाना आबूरोड़ शहर, जिला– सिरोही को राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में 02 (दो) माह की अवधि के लिये उपखण्ड़ क्षेत्र आबूरोड़ से निष्कासित किया जाता है। उक्त निष्कासन अवधि दिनांक 08–04–2026 से लागू होगी। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के उपखण्ड़ क्षेत्र, आबूरोड़ की सीमा में प्रवेश नही करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक .....लगातार

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट मुकदमा संख्याः 13/2025	
	सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नही करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पार्क आदि के आस–पास अपनी उपस्थित नही देगा। गैरसायल उक्त निष्कासन अवधि में प्रत्येक मंगलवार को पुलिस थाना क्षेत्र रेवदर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तो का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 50,000/– (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र व इसी कदर राशि का जमानत पत्र प्रस्तुत करेगा। आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्रप्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना आबूरोड़ शहर / रेवदर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। (डॉ. राजेश गोयल) अति0 जिला कलेक्टर, सिरोही	